# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

## मिशन शक्ति बुलेटिन-III

दिनांक- 29.05.2026

**मिशन शक्ति 5.0 मिशन शक्ति का प्रण लेकर, हर बच्चे को समझाओ,**
**साइबर खतरों से बचाव क्या है, ये सुरक्षा सूत्र सबको सिखाओ।**

***थाना सुशांत गोल्फ सिटी की टीम द्वारा साउथ सिटी क्षेत्र थाना सुशांत गोल्फ सिटी, में महिलाओं और बच्चों को मिशन शक्ति के तहत साइबर क्राइम, महिला अपराध व महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर एवं 'यूपी-कॉप' (UP COP) आदि के बारे में किया गया जागरूक।***

**उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण** और **पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के** मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

**लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है**

**आयोजक/आयोजन स्थल-**

*मिशन शक्ति टीम — थाना सुशांत गोल्फ सिटी, जनपद लखनऊ*

- उपनिरीक्षक नेहा सिंह
- महिला कांस्टेबल मंजू

**स्थान — साउथ सिटी क्षेत्र**

**प्रतिभाग-**

*मिशन शक्ति टीम — थाना सुशांत गोल्फ सिटी, जनपद लखनऊ*

- उपनिरीक्षक नेहा सिंह
- महिला कांस्टेबल मंजू

**स्थान — साउथ सिटी क्षेत्र थाना सुशांत गोल्फ सिटी, में महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया गया।**

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-**

**थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक**

आज दिनांक **29/05/2026** को **मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान** के अंतर्गत **थाना सुशांत गोल्फ सिटी, जनपद लखनऊ** की पुलिस टीम द्वारा **साउथ सिटी क्षेत्र** में भ्रमणशील रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक किया गया।

इस दौरान पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को **घरेलू हिंसा**, महिला उत्पीड़न एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही महिलाओं को **1090 वुमन पावर हेल्पलाइन, यूपी डायल 112, अग्निशमन सेवा 101, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

महिलाओं को **महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, महिला सशक्तिकरण योजनाओं** एवं पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न सुविधाओं के बारे में अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं युवतियों को **साइबर अपराध से बचाव** के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी अनजान लिंक, कॉल अथवा ओटीपी साझा करने से बचें तथा किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक एवं निर्भीक बनने हेतु प्रेरित करते हुए बताया गया कि पुलिस उनकी सुरक्षा एवं सहायता हेतु सदैव तत्पर है।

**निष्कर्ष:**

लखनऊ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत आयोजित यह जागरूकता कार्यक्रम महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय और बहुआयामी पहल है।

- **समग्र जागरूकता:** महिलाओं को न केवल उनके अधिकारों और सुरक्षा संबंधी योजनाओं से अवगत कराया गया, बल्कि उन्हें विभिन्न आपात स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई।
- **बच्चों का सशक्तिकरण:** बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' जैसे संवेदनशील मुद्दे पर शिक्षित करना भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **डिजिटल सुरक्षा पर जोर:** साइबर अपराधों और साइबर फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में बताना वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप है।
- **सहायता तंत्र से परिचय:** महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र जैसे विशेष सहायता तंत्रों के कार्यों से अवगत कराने से पीड़ितों तक त्वरित और प्रभावी मदद पहुँचाने में मदद मिलेगी।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

## मिशन शक्ति बुलेटिन -I

## मिशन शक्ति- हर बेटी सशक्त, हर नारी सुरक्षित।

***महिला थाना द्वितीय पुलिस टीम द्वारा बड़ी बाजार, थाना बीकेटी क्षेत्र महिलाओं और बच्चों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा साइबर अपराध पर किया जागरूक।***

**दिनांक- 29.05.2026**

**लखनऊ, श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के कुशल निर्देशन में *मिशन शक्ति 5.0* अभियान के तहत कमिश्नरेट लखनऊ में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से संबंधित विविध जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं।

मिशन शक्ति के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

**आयोजक/आयोजन स्थल-**

**मिशन शक्ति टीम —महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट।**

- **महिला कांस्टेबल रेनू राय**
- **महिला कांस्टेबल ज्योति सिंह**
- **कांस्टेबल अमित कुमार**

**स्थान — बड़ी बाजार, थाना बीकेटी क्षेत्र**

**प्रतिभाग**

**मिशन शक्ति टीम —महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट।**

- **महिला कांस्टेबल रेनू राय**
- **महिला कांस्टेबल ज्योति सिंह**
- **कांस्टेबल अमित कुमार**

**स्थान — बड़ी बाजार, थाना बीकेटी क्षेत्र महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया गया।**

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-**

आज दिनांक **29/05/2026** को **मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान** के अंतर्गत **महिला थाना द्वितीय, जनपद लखनऊ** की पुलिस टीम द्वारा **बड़ी बाजार, थाना बीकेटी क्षेत्र** में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

इस दौरान पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को **पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन 1090, महिला सहायता नंबर 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एम्बुलेंस सेवा 102 एवं 108** सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई तथा आपातकालीन परिस्थितियों में इनके उपयोग के संबंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।

महिलाओं को **महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, यूपी कॉप ऐप एवं साइबर क्राइम** के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या अथवा अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं युवतियों को **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** की जानकारी देते हुए साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, ओटीपी धोखाधड़ी, सोशल मीडिया ठगी एवं डिजिटल अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया तथा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को **मिशन शक्ति अभियान** के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं महिला हितैषी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनने हेतु प्रेरित किया गया।

## कार्यक्रम का उद्देश्य: कार्यक्रम का उद्देश्य एवं महत्व:

यह कार्यक्रम छात्राओं को पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाने और उन्हें सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों से लैस करने की दिशा में एक सार्थक पहल था। महिला थाना द्वितीय की इस पहल से न केवल छात्राओं को जागरूक किया गया, बल्कि पुलिस-जनता के बीच की दूरी को कम करने में भी मदद मिली।

छात्राओं ने न केवल पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली को जाना बल्कि यह भी सीखा कि पुलिस नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है।

## निष्कर्ष:

**जागरूकता में वृद्धि:** इस सत्र ने बच्चों को गुड टच और बैड टच की महत्वपूर्ण समझ प्रदान की, जो उन्हें सुरक्षित रहने और अनुचित व्यवहार की पहचान करने में सक्षम बनाएगी।

- **भावनात्मक रूप से सुरक्षित माहौल:** बच्चों द्वारा अपने सपने साझा करना इस बात का संकेत है कि कक्षा का माहौल भरोसेमंद और सुरक्षित था। इससे बच्चों के आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता का पता चलता है।
- **सकारात्मक सहभागिता:** बच्चों की सक्रिय भागीदारी ने दर्शाया कि वे इस विषय को समझने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्सुक थे।
- **भविष्य के लिए आधार:** यह सत्र बच्चों के व्यक्तिगत सुरक्षा ज्ञान का एक मजबूत आधार तैयार करेगा। साथ ही, स्कूल द्वारा इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना एक प्रशंसनीय कदम है।

संक्षेप में, यह गतिविधि न केवल शैक्षिक थी बल्कि इसने बच्चों को भावनात्मक रूप से सशक्त भी किया, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

## मिशन शक्ति बुलेटिन- II

**दिनांक- 29.05.2026**

**मिशन शक्ति 5.0-**

**"सुरक्षित समाज की पहचान – सशक्त महिला, जागरूक इंसान!"**

***थाना बीबीडी पिंक बूथ 45 टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत आनंदी वाटर पार्क में जाकर महिलाओं को साइबर सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान के तहत बाल एवं महिला से सम्बंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, साइबर क्राइम, यूपी कॉप के बारे में किया जागरूक।***

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

### आयोजक/आयोजन स्थल

***मिशन शक्ति टीम थाना बीबीडी लखनऊ कमिश्नरेट।***

- **एंटी रोमियो टीम प्रभारी — उपनिरीक्षक श्री रामलाल**
- **महिला उपनिरीक्षक — नैंसी**
- **महिला हेड कांस्टेबल — लीलावती वर्मा**

**स्थान — आनंदी वाटर पार्क**

### प्रतिभाग-

***मिशन शक्ति टीम थाना बीबीडी लखनऊ कमिश्नरेट।***

- **एंटी रोमियो टीम प्रभारी — उपनिरीक्षक श्री रामलाल**
- **महिला उपनिरीक्षक — नैंसी**
- **महिला हेड कांस्टेबल — लीलावती वर्मा**

**स्थान — आनंदी वाटर पार्क में जाकर** महिलाओ को किया गया जागरूक।

## कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक **29/05/2026** को **मिशन शक्ति अभियान** के अंतर्गत **थाना बी0बी0डी0** की **मिशन शक्ति टीम** एवं **एंटी रोमियो टीम** द्वारा **आनंदी वाटर पार्क** में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं आत्मरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई।जागरूकता अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं युवतियों को **पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन 1090, साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076** के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा बताया गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति, छेड़छाड़, उत्पीड़न, साइबर अपराध अथवा अन्य समस्या होने पर तत्काल इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर पुलिस सहायता प्राप्त की जा सकती है।

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को वर्तमान समय में बढ़ रहे **साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी शेयरिंग, बैंकिंग धोखाधड़ी एवं डिजिटल अरेस्ट** जैसी घटनाओं के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल अथवा ओटीपी साझा न करें तथा किसी भी संदिग्ध कॉल अथवा लिंक पर तुरंत सतर्क रहें।

इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को **ऑटो/ई-रिक्शा अथवा अन्य सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करते समय बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों** के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस टीम द्वारा बताया गया कि यात्रा के दौरान वाहन का नंबर अपने परिजनों को साझा करें, सुनसान स्थानों पर अकेले जाने से बचें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

अभियान के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं आत्मविश्वास के प्रति जागरूक करते हुए कहा गया कि पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा एवं सहायता हेतु तत्पर है। साथ ही महिलाओं एवं युवतियों को निर्भीक होकर अपनी समस्याओं को पुलिस के समक्ष रखने हेतु प्रेरित किया गया।

## कार्यक्रम के उद्देश्य

छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। छात्राओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।

## निष्कर्ष

यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। इस पहल से महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता एवं समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजगता बढ़ी।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-880**
**दिनांक-29.05.2026**

**जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां**

➢ **थाना महिगवां पुलिस द्वारा क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले कुल 05 अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर मा0 न्यायालय भेजा गया।।**

**01-संक्षिप्त विवरण-**

**प्रकरण-1**

दिनांक 29.05.2026 को आवेदिका श्रीमती मोहिनी पत्नी कुलदीप निवासी ग्राम बराखेमपुर थाना महिगवां लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी कि उनके देवर आशीष पुत्र गयाप्रसाद द्वारा उनके साथ वाद-विवाद किया जा रहा है। सूचना पर उ0नि0 श्री जगमोहन दूबे मय हमराह हे0का0 सुनील कुमार मौके पर पहुंचे तो विपक्षी आशीष पुत्र गयाप्रसाद निवासी ग्राम शिवपुरी थाना महिगवां जनपद लखनऊ मौके पर आकर अपनी भाभी के साथ वाद-विवाद करने लगा। पुलिस टीम द्वारा काफी समझाया-बुझाया गया परन्तु वह नहीं माना तथा आमदा फौजदारी होने लगा। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त आशीष उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस के तहत पुलिस हिरासत में लिया गया।

**प्रकरण-2**

दिनांक 29.05.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि इन्द्रप्रस्थ कालोनी के पास दो व्यक्ति आने-जाने वाले राहगीरों को गाली-गलौज कर परेशान कर रहे हैं। सूचना पर उ0नि0 श्री सुनील कुमार मय उ0नि0 श्री अजयपाल मौके पर पहुंचे तो घटना सत्य पायी गयी। मौके पर विपक्षीगण 1. प्रियांशू पुत्र ठगेश्वर निवासी ग्राम मवईया थाना अतरौली जनपद हरदोई एवं 2. पंकज पुत्र अशोक निवासी ग्राम कल्याणखेड़ा थाना अतरौली जनपद हरदोई राहगीरों को गाली-गलौज कर परेशान करते मिले। पुलिस टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों को काफी समझाया-बुझाया गया परन्तु दोनों नहीं माने तथा आमदा फौजदारी होने लगे। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए दोनों अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस के तहत पुलिस हिरासत में लिया गया।

**प्रकरण-3**

दिनांक 29.05.2026 को दो पक्ष अपना-अपना प्रार्थना पत्र लेकर थाना स्थानीय पर आये तथा आपस में वाद-विवाद करने लगे। जांच उ0नि0 श्री सतीश सिंह एवं उ0नि0 श्री इन्द्रपाल सिंह द्वारा की गयी तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष के सूरज गौतम पुत्र श्री बहादुर गौतम निवासी ग्राम विशम्भर खेड़ा ग्राम पंचायत अल्दमपुर थाना महिगवां जनपद लखनऊ तथा द्वितीय पक्ष के अशोक कुमार पुत्र श्री होली राम निवासी ग्राम मुन्डेरी थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी के मध्य खेत गिरवी रखने एवं कागजात देने को लेकर विवाद चल रहा था। उभय पक्ष को काफी समझाया-बुझाया गया रन्तु दोनों पक्ष आमदा फौजदारी होने लगे। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए प्रथम पक्ष के सूरज एवं द्वितीय पक्ष के अशोक कुमार को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस के तहत पुलिस हिरासत में लिया गया।

## 02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आशीष पुत्र गयाप्रसाद निवासी ग्राम शिवपुरी थाना महिंगवा जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष ।
2. प्रियांशू पुत्र ठगेश्वर निवासी ग्राम मवईया थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र करीब 19 वर्ष।
3. पंकज पुत्र अशोक निवासी ग्राम कल्याणखेड़ा थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र करीब 21 वर्ष।
4. सूरज गौतम पुत्र बहादुर गौतम निवासी- ग्राम विशम्भर खेड़ा थाना महिगवाँ जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष।
5. अशोक कुमार पुत्र श्री होली राम निवासी ग्राम मुन्डेरी थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी उम्र करीब 40 वर्ष।

## 03-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना महिगवां लखनऊः-

1. उ0नि0 श्री जगमोहन दूबे
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार
3. उ0नि0 श्री अजय पाल
4. उ0नि0 श्री सतीश सिंह
5. उ0नि0 श्री इन्द्रपाल सिंह सेंगर
6. हे0का0 श्री सुनील कुमार

## 04- फोटो

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

## प्रेस नोट- महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित विधिक प्रावधानों के विषय

**प्रेस नोट सं.-879** **दिनांक- 29.05.2026**

## लखनऊ पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए "महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित विधिक प्रावधानों के विषय" पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुक्रम में, लखनऊ पुलिस आयुक्त **श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29.05.2026 **महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित विधिक प्रावधानों के** विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम **रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ स्थित संगोष्ठी सदन** में आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) **श्रीमती अपर्णा कुमार**, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार**, तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) **श्री अमित कुमावत** व पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध एवं सुरक्षा कमि0 लखनऊ) **श्रीमती ममता रानी चौधरी** के प्रभावी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यशाला का सफल संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध/ट्रेनिंग सेल) **श्रीमती शिप्रा पांडेय** के पर्यवेक्षण में किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अंतर्गत प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2026 को एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष प्रशिक्षण शाखा के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें **महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित विधिक प्रावधानों पर विशेष** रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

### *प्रतिभागिता एवं प्रशिक्षण व्यवस्था:*

प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 91 उप निरीक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने तथा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। प्रशिक्षण हेतु संगोष्ठी सदन में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं, जिससे प्रतिभागियों को विषयवस्तु को प्रभावी ढंग से समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

### *विशेषज्ञ प्रशिक्षक द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण:*

प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री प्रवीण तिवारी एवं श्रीमती करुणा सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा प्रतिभागियों को महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों एवं विवेचना संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षकों द्वारा अपराधों के अनुसंधान में आवश्यक तकनीकी एवं विधिक सावधानियों के संबंध में जानकारी दी गई।

**प्रशिक्षण के दौरान दिए गए प्रमुख विषय:**

प्रशिक्षण के दौरान धारा 498ए भादवि / 85 बीएनएस, धारा 363/366 भादवि / 87/137(2) बीएनएस, धारा 354 भादवि / 74 बीएनएस, धारा 326ए भादवि / 124(1) बीएनएस, धारा 304बी भादवि / 80 बीएनएस, पॉक्सो एक्ट, जे०जे० एक्ट, मानव तस्करी तथा आईटीएसएसओ पोर्टल से संबंधित प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। साथ ही उन अपराधों की विवेचना एवं निस्तारण की प्रक्रिया समझाई गई जिनमें 60/90 दिवस की समयावधि निर्धारित है।

**प्रशिक्षण का उद्देश्य:**

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में प्रभावी, संवेदनशील एवं समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित करना, विवेचकों को नवीन विधिक प्रावधानों से अवगत कराना तथा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के माध्यम से पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना रहा।

**भविष्य की कार्ययोजना:**

कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन कानूनों, तकनीकी प्रक्रियाओं एवं न्यायालयीन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके तथा महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित हो सके।

**निष्कर्ष:**

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ। कार्यक्रम के माध्यम से महिला एवं बाल अपराधों की विवेचना में दक्षता, संवेदनशीलता एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई, जिससे आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-876**

**दिनांक-29.05.2026**

## जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

- **थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार।**
- **पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को पूर्व में ही सकुशल बरामद किया जा चुका है।**

**01-संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 21.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना ठाकुरगंज पर तहरीर देकर सूचना दी गई कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को घर के बगल में रहने वाला रिंकू पुत्र छंगा निवासी पुराना तोपखाना गली नं0-3 थाना ठाकुरगंज लखनऊ, मूल निवासी ग्राम धमधमपुर थाना रेवसा जनपद सीतापुर, बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0-327/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मुकदमे की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं तलाश सुरागरसी पतारसी के क्रम में थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रिंकू पुत्र छंगा को दिनांक 29.05.2026 को बरदानी मंदिर के पास हरदोई रोड किनारे से गिरफ्तार किया गया। तथा पीड़िता को दिनांक 27.05.2026 को प्रेरणास्थल के पास से सकुशल बरामद किया जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02-पंजीकृत अभियोग-**

01-मु0अ0सं0-338/2026 धारा 137(2) बीएनएस थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01-रिंकू पुत्र छंगा निवासी पुराना तोपखाना गली नं0-3 थाना ठाकुरगंज लखनऊ, मूल पता ग्राम धमधमपुर थाना रेवसा जनपद सीतापुर।

**04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान, थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री राबहादुर सिंह, प्रभारी चौकी आम्रपाली थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. आरक्षी अंशुल कुमार, थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-875
दिनांक-29.05.2026

## जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

➢ **थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**01-संक्षिप्त विवरणः-**

वादी निवासी तेलीबाग, थाना पीजीआई लखनऊ के द्वारा दिनांक 06.05.2026 को दिये गये लिखित तहरीर कि मेरी नबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को दिनांक 05.05.2026 प्रिंस सोनी पुत्र बृजेश सोनी बहला फुसलाकर ले गया है व कुछ कीमती जेवर ,कैश करीब 25 हजार रुपये तथा मेरी पत्नी का मोबाइल व अन्य कागज ले गया जिसके संबंध में तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ पर पंजीकृत किया गया।

**2.कार्यवाही विवरणः-**

विवेचना व अपहृता के तलाश के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त प्रिंस सोनी पुत्र बृजेश सोनी निवासी- 1/165 रूचि खण्ड 1st जेल मार्ग शारदानगर थाना आशियाना लखनऊ उम्र 24 वर्ष को आज दिनांक 29.05.2026 को पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर श्री महाकाल भैरव धाम मंदिर नहर वाली रोड के किनारे तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ से गिरफ्तार कर अपहृता/पीड़िता (नाबालिग) को बरामद किया गया। बाद बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस अंकित कर, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभि0 उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**3.पूछताछ विवरणः-**

पूछताछ से यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त प्रिंस सोनी व पीड़िता/अपहृता आपस में काफी समय से एक दूसरे से सम्पर्क में थे व अभियुक्त द्वारा बताया गया कि एक दूसरे से शादी करने के लिए उसे भगा कर ले आया था आज कहीं जाने के फिराक में थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

**04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-**

1.प्रिंस सोनी पुत्र बृजेश सोनी निवासी- 1/165 रूचि खण्ड 1st जेल मार्ग शारदानगर थाना आशियाना लखनऊ उम्र 24 वर्ष ।

**05-अनावरित अभियोग का विवरणः-**

1.मु0अ0सं0 284/2026 धारा137(2)/87 बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ।

**06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

- थाना पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-877**
**दिनांक-29.05.2026**

**जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज**

- **ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा मानसिक रूप से कमजोर 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोपी को किया गया गिरफ्तार।**
- **नाबालिग लड़की को सकुशल किया गया बरामद ।**

**01-संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक-26/05/2026 को वादी मुकदमा के द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर सूचित किया गया कि मेरी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री जो कि मानसिक रूप से कमजोर है,बिना बताए कहीं चली गई है।

**उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0338/2026 धारा-137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

विवेचनात्मक कार्यवाही एवं गुमशुदा की तलाश सुरागरसी पतारसी के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त नाबालिग लड़की को विपक्षी अकरम पुत्र स्व0 जुम्मन नि0-ग्राम बरावन खुर्द थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र-35 वर्ष अपने साथ बहला फुसलाकर लेकर चला गया है। ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.05.2026 को वादी की पुत्री को बरामद करते हुए घटना में शामिल अभि0 अकरम पुत्र स्व0 जुम्मन नि0- ग्राम बरावन खुर्द थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र- 35 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर जेहटा रोड प्रेरणा स्थल थाना ठाकुरगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)---**

01-मु0अ0सं0-0338/2026 धारा-137(2) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01-अकरम पुत्र स्व0 जुम्मन नि0- ग्राम बरावन खुर्द थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र- 35 वर्ष

**04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री राबहादुर सिंह प्रभारी चौकी आम्रपाली थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. आरक्षी अंशुल कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ
4. म0का0 सोनम कुमारी थाना ठाकुरगंज लखनऊ

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-872**
**दिनांक-29.05.2026**

## *जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज*

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा लम्बित मालों के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही।**
- **मा० न्यायालय के आदेशानुसार 89 अभियोगों की अवैध शराब नष्ट कराई गई।**
- **कुल लगभग 4200 लीटर अवैध कच्ची/देशी शराब को किया गया नष्ट।**

**01-संक्षिप्त विवरण-**

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में लम्बित मालों के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री रल्लापल्ली बसंथ कुमार एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कार्यवाही संपादित की गई।

**मा० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन** में थाना मोहनलालगंज पर **वर्ष 2017 से वर्ष 2025 के मध्य पंजीकृत कुल 89 अभियोगों** में बरामद एवं जब्त की गई **लगभग 4200 लीटर अवैध कच्ची/देशी शराब** को नियमानुसार नष्ट कराया गया। उक्त कार्यवाही थाना परिसर में जेसीबी मशीन द्वारा गड्ढा खुदवाकर सम्पन्न कराई गई।

कार्यवाही के दौरान सुरक्षा एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत समस्त आवश्यक विधिक औपचारिकताओं का पालन किया गया। साथ ही ग्राम चौकीदारों की भी सहायता ली गई, जिनकी उपस्थिति में शराब को पूर्ण रूप से नष्ट कराया गया।

थाना मोहनलालगंज पुलिस की यह कार्यवाही अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को प्रभावी बनाने एवं समाज में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

**02-नष्ट की गई सामग्री का विवरण:**

- कुल 89 अभियोग
- कुल 4200 लीटर अवैध कच्ची/देशी शराब

**यह कार्यवाही श्रीमान एसीपी मोहनलालगंज श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, व0उ0नि0 श्री यशवन्त सिंह एवं एचएम मालखाना हे0का0 श्री संजीव कुमार की उपस्थिति में सकुशल सम्पन्न कराई गई।**

**थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा भविष्य में भी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।**

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-874**

**दिनांक-29.05.2026**

**जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा**

➢ **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**01- संक्षिप्त विवरण**

दिनांक 27.05.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/2026 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 विरुद्ध सूरज पुत्र राजू निवासी टेढ़वा बरखुर्रदारपुर थाना गुडम्बा लखनऊ मूल निवासी ग्राम देबियापुर थाना सदरपुर , जनपद सीतापुर , बावत अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री संदीप कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।

दिनांक 28.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग पीड़िता/अपहृता को उ0नि0 श्री संदीप सिंह गौर मय हमराही पुलिस बल के पतारसी सुरागरसी के क्रम में अभियुक्त सूरज पुत्र राजू के कब्जे से मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन थाना क्षेत्र मड़ियांव से बरामद किया गया तथा अभियुक्त को दिनांक 28.05.2026 को समय 17.10 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण**

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह वादी की पुत्री से प्रेम करता है शादी के उद्देश्य से दोनो साथ गये थे।

**03-अनावरित अभियोग का विवरण-**

1.मु0अ0सं0 215/2026 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 थाना गुडम्बा लखनऊ।

**04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय**

1.सूरज राज पुत्र राजू निवासी ग्राम देबियापुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर उम्र करीब 18 वर्ष

**05-बरामदगी**

➢ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग पीड़िता/अपहृता।

**06-गिरफ्तारी करने वाली टीम**

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री संदीप सिंह गौर
3. उ0नि0 अतीश कुमार सिंह
4. म0हे0का0 तमन्ना सिहं
5. का0 विवेक
6. का0 दीपक यादव
7. का0 सूर्यप्रकाश यादव
8. म0का0 सपना

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0- 873**
**दिनांक-29.05.2026**

**जोन- पूर्वी/ थाना-गाजीपुर**

- **थाना गाजीपुर व पूर्वी जोन की क्राइम टीम के द्वारा 25,000/- रु0 के ईनामियाँ शातिर 01 नफर चेन स्नेचर को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभि0 लगभग तीन समाप्त पहले इरम कान्बेंट स्कूल ,इंदिरा नगर लखनऊ पास से एक महिला से चेन छीनकर हो गया था फरार**
- **अभि0 के कब्जे से छीनी गयी चेन,दूसरी घटना से सम्बन्धित नगद 8000/-रु0 व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद**

**01-संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 06.05.2026 को वादी मुकदमा श्री विनय गुप्ता पुत्र श्री जयप्रकाश गुप्ता नि0 म0नं0 22/112 सेक्टर 22 इंदिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया कि मोटर साइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की पत्नी के गले में पहने चैन को खीच भाग जाने के सम्बन्ध में। वादी मुकदमा के उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 151/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना गाजीपुर लखनऊ बनाम अज्ञात पंजीकृत कर माल व मुल्जिमान की तलाश प्रारम्भ की गयी।

उपरोक्त घटना को चुनौतीपूर्ण लेते हुए घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर तलाश की जा रही थी कि कल दिनांक 28/05/2026 को थाना गाजीपुर व पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा बंधा रोड मजार के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी तभी एक बिना नम्बर की मोटरसाईकिल से कल्याण अपार्टमेन्ट की तरफ से आते हुये दिखाइ दिया । पुलिस टीम को चेकिंग करता हुआ देखकर वापस पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया तभी पुलिस टीम को शक होने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को एक बारगी पकड़ लिया गया। पूछताछ पर अपना नाम मो0 शारुख उर्फ शाहरुख उर्फ शेरा खान पुत्र स्व0 गुलाम नबी उर्फ बन्ने खान निवासी 277/1 दाराशाह अजमल थाना शाहगंज जनपद प्रयागराज वर्तमान पता साठफिटा रोड नाज हास्पिटल के पीछे मोहल्ला करैली थाना करैली जनपद प्रयागराज व अन्य वर्तमान पता किराये का मकान सं0 5 एहसाननगर सेक्टर 09 थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष बताया।

अभि0 के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित छीनी गयी चेन तथा अन्य दूसरी घटना से सम्बन्धित 8000/- रुपये, माल मसरूका व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल होण्डा मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट), SP125 बाड़ी का रंग काला व हरे रंग की पट्टी जिसका चेचिस नंबर ME4JC942GRG489354 बरामद हुई । ई-चालान ऐप पर चेचिस न0 डालकर वाहन का विवरण चेक किया गया तो वाहन का रजि0 नं0 UP32PU3595, है।

अभियुक्तो के कब्जे से बरामद चेन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। आवश्यक विधिक कार्यवाही अभि0गण की विरूद्ध की जा रही है। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त के पूर्व जानकारी/इतिहास

पूरा नाम:- मो0 शारुख उर्फ शाहरुख उर्फ शेरा खान उम्र लगभग 34 वर्ष

निवास स्थान: 277/1 दारा शाह अजमल थाना शाहगंज जनपद प्रयागराज वर्तमान पता साठफिटा रोड नाज हास्पिटल के पीछे मोहल्ला करैली थाना करैली जनपद प्रयागराज व अन्य वर्तमान पता किराये का मकान सं0 5 एहसाननगर सेक्टर 09 थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष

- यह प्रयागराज का एक चिन्हित हिस्ट्रीशीटर है। इसके खिलाफ करेली, खुल्दाबाद, शाहगंज और धूमनगंज थानों में 15 से 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रंगदारी (Extortion), हत्या का प्रयास, बमबाजी, और अवैध हथियार (Arms Act) रखना सलमान खान धमकी मामला (नवंबर 2018) नवंबर 2018 में शेरा ने सलमान खान के पिता सलीम खान और उनके पीए (PA) को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी इसने 13 से 15 नवंबर के बीच कई कॉल्स किए। उसने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का गुर्गा और फोन पर 'डीजीपी (DGP) साहब' बताया था पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वह फिल्म इंडस्ट्री में 'गॉडफादर' की तलाश में था और सलमान खान से बात करके काम मांगना चाहता था; जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने धमकियां दीं।15 नवंबर 2018 को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई। 17 नवंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने यूपी पुलिस की मदद से उसे प्रयागराज के करेली से गिरफ्तार किया था।
- **प्रमुख पुलिस मुठभेड़ (2019 एवं 2020) अगस्त 2019 की मुठभेड़:** मुंबई से जमानत पर छूटने के बाद शेरा ने 8 जून 2019 को व्यापारी हमदान और 15 मार्च को मो. फराज पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने 25 हजार रुपये के इस इनामी बदमाश को लीडर रोड स्थित कूड़ा घर के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।
- **अप्रैल 2020 की मुठभेड़:** करेली पुलिस स्टेशन के अकबरपुर इलाके में नकदी लूट की जांच के दौरान पुलिस टीम की शेरा की गैंग के साथ मुठभेड़ हुई। इस फायरिंग में शेरा के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
- **माफिया अतीक अहमद कनेक्शन एवं वायरल फोटो (2023) वायरल फोटो:** जुलाई 2023 में शाहरुख उर्फ शेरा की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वह कार में सरेआम रिवॉल्वर लहराता हुआ नजर आ रहा था।
- **वायरल ऑडियो एवं माफिया कनेक्शन:** उसी दौरान उसका एक ऑडियो भी सामने आया। इस ऑडियो में वह खुद को छोटा शकील का आदमी बताते हुए धमकी दे रहा था और माफिया अतीक अहमद के लिए अपनी 'जान देने और लेने' की बात कह रहा था।

## 02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त अपने साथी आरिफ करेली पुत्र सगीर निवासी किराये का मकान नाज हास्पिटल के पहले वाली गली मोहल्ला करैली थाना करैली जनपद प्रयागराज उ0प्र0 के साथ मिलकर महिला के गले से चेन झपटमारी का अपराध कारित करना।

## 03-आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 222/2009 धारा 384, 323, 504, 506 / IPC थाना करेली प्रयागराज
2. मु0अ0सं0 236/2009 धारा 147, 148, 149, 307, 506 / IPC व 7 सीएल एक्ट थाना करेली प्रयागराज
3. मु0अ0सं0 343/2010 धारा 392 IPC थाना करेली प्रयागराज

4. मु0अ0सं0 344/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना करेली प्रयागराज
5. मु0अ0सं0 47/2011 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधि0 थाना करेली प्रयागराज
6. मु0अ0सं0 73/2011 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना करेली प्रयागराज
7. मु0अ0सं0 248/2016 धारा504/427/34/307 भादवि थाना करेली प्रयागराज
8. मु0अ0सं0 251/2016 धारा 4/5 Explosive Substances थाना करेली प्रयागराज
9. मु0अ0सं0 285/2016 धारा 307 भादवि थाना करेली प्रयागराज
10. मु0अ0सं0 85/2018 धारा 286/307 भादवि थाना करेली प्रयागराज
11. मु0अ0सं0 50/2019 धारा 307/386 भादवि थाना करेली प्रयागराज
12. मु0अ0सं0 71/2019 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि थाना शाहगंज प्रयागराज
13. मु0अ0सं0 124/2019 धारा 323/504/506/307 भादवि थाना शाहगंज प्रयागराज
14. मु0अ0सं0 209/2019 धारा 307/34 भादवि थाना शाहगंज प्रयागराज
15. मु0अ0सं0 210/2019 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना शाहगंज प्रयागराज
16. मु0अ0सं0 128/2019 धारा 452, 392, 504, 506 / IPC थाना करेली प्रयागराज
17. मु0अ0सं0 128/2020 धारा 7 / Criminal Law Amendment Act थाना करेली प्रयागराज
18. मु0अ0सं0 129/2020 धारा 307 / IPC थाना करेली प्रयागराज
19. मु0अ0सं0 130/2020 धारा 3, 25 / Arms Act थाना करेली प्रयागराज
20. मु0अ0सं0 124/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ

**05-अनावरित अभियोग**

1.मु0अ0सं0- 151/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गाजीपुर लखनऊ

**05-बरामदगीः-**

- 01 अदद गले की चेन का टुकड़ा पीली धातु,
- नगद 8000/- रुपये, माल मसरूका
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद होण्डा मोटर साइकिल बिना नंबर प्लेट रंग काला व हरा

**06- अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -**

**थाना गाजीपुर की पुलिस टीम का विवरण**

1. म0उ0नि0 सुश्री अर्चना
2. उ0नि0 श्री नीरज यादव,
3. उ0नि0 श्री प्रभात बालियान
4. उ0नि0 श्री सचिन कुमार
5. उ0नि0 सुशील कुमार पासी
6. उ0नि0 श्री अजय कुमार
7. उ0नि0 प्रवीण कुमार,
8. उ0नि0 प्रमोद चौधरी
9. हे0का0 बालकुश यादव
10. हे0का0 अशोक कुमार
11. का0 राजवीर कुमार
12. का0 राजकुमार

**पूर्वी जोन की क्राइम टीम का विवरण**

1. उ0नि0 श्री अमरनाथ चौरसिया
2. हे0का0 संदीप पाण्डेय
3. हे0का0 अमित कुमार
4. का0 शिवानन्द खरवार
5. का0 तरनजीत सिंह
6. का0 विमल चन्द्र
7. का0 अजय कुमार
8. का0 प्रदीप कुमार

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-878**
**दिनांक-29.05.2026**

## *जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज लखनऊ*

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहा गुज्जर गैंग का 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।**

**01-संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 20.05.2026 को वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 19.05.2026 की मध्य रात्रि प्रार्थी के घर पर लगभग 25 से 30 अज्ञात लोग, 02 चार पहिया डाला व 01 चार पहिया गाड़ी सं. यूपी 32 ई सी 3006 से लाठी डण्डे, राड़ आदि से लैश होकर एकराय होकर सुनियोजित तरीके से हमला करके प्रार्थी के घर पर खड़ी 01 दो पहिया आर 15 गाड़ी सं. यूपी 32 के एच 7613, 01 दो पहिया अपाचे गाड़ी सं. यूपी 32 एम आर 5502, 01 चार पहिया स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी सं. यूपी 32 पी बी 5650 को उक्त लोगों ने मिलकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया,

जिससे कि तीनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने विपक्षीगण उपरोक्त लोगो से इसका विरोध किया तो उक्त लोगों के द्वारा प्रार्थी को जान से मार देने की धमकी देकर मारने पीटने के लिए दौड़ा लिया और गाली गलौज करते हुए कहा कि हमसे पंगा लेने का नतीजा देख लिया।

घटना के सम्बन्ध में दिनांक 22.05.2026 को मु0अ0सं0 192/26 धारा 131/352/351(3)/324(4)/191(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

**02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-**

थाना गोसाईगंज को घटना की जानकारी होने पर **प्रभारी निरीक्षक श्री डी.के. सिंह** द्वारा घटना के त्वरित व सफल अनावरण के लिये 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था एवं दिनांक 21.05.2026 को नामित अभियुक्त आजाद रावत एवं दिनांक 24.05.2026 को गुज्जर गैंग के कुल 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

अभियुक्त शेरा उर्फ शिवा घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था, जिसे दिनांक 28/29.05.2026 की देर रात्रि को मुखबिर खास की सूचना पर गंगाखेड़ा अण्डरपास से जौखण्डी के मध्य सड़क से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया है।

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1.शेरा उर्फ शिवा पुत्र स्व0 राकेश निवासी सदरपुर करोरा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

**04-पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 192/26 धारा 131/352/351(3)/324(4)/191(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोसाईगंज लखनऊ।

**05-बरामदगी-**

- 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस

**06-आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 192/26, धारा 131/352/351(3)/324(4)/191(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोसाईगंज, लखनऊ
2. मु0अ0सं0 574/23 धारा 393 भादवि थाना गोसाईगंज, लखनऊ
3. मु0अ0सं0 221/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ
4. मु0अ0सं0 560/25 धारा 115(2)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ
5. मु0अ0सं0 97/25 धारा 137(2)/351(3)/65(1)/87 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना समधर, झांसी
6. मु0अ0सं0 486/24 धारा 115/121(1)/351(2)/352 बीएनएस थाना जीआरपी चारबाग, लखनऊ

**07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- **कोतवाली गोसाईगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।**